संख्या-53/2018/3437/26-3-2017-4(266)/05

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 मार्च 2018

विषयः-गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु चयनित संस्थाओं की लम्बित देयता का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 की योजनान्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1812/स0क0/विकास/परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण/2017-18, दिनांक-12.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रारंभिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं की लम्बित देयता की धनराशि रू0-8420160/- (रू0 चौरासी लाख बीस हजार एक सौ साठ मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अन सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-53/2018/3437(1)/26-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2

6.राज्य योजना आयोग-1/2

7.निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

8.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

9.गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।